राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3005/2025

अनुसुईया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संगीता कुमारी, नर्सिंग अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावा, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.06.2025
आदेश की दिनांक : 01.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप सक्सेना, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर राजकीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावा, झुंझुनू में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी एवं श्री दिनेश पूनिया को पीबीएम अस्पताल, बीकानेर स्थानांतरित किया गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 1907/2025 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 10.03.2025 को आदेश जारी करते हुये यह निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी के संबंध में निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावे, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 28.05.2025 जारी करते हुये श्रीमती संगीता

कुमारी का नाम विलोपित करते हुये शेष आदेश दिनांक 15.01.2025 यथावत रहेगा के आदेश जारी किये गये। इस प्रकार उक्त दोनो आदेश प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किये गये हैं। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 06.06.2025 के द्वारा स्थानांतरण आदेश की पालना में कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की मां जो 70 वर्ष वृद्ध महिला है और कई बीमारियों से पीडित है, परंतु फिर भी अपीलार्थी द्वारा उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया और अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से 200 कि.मी. दूर स्थानांतरित किया गया, जो नियम एवं नीति विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025, 28.05.2025 एवं 06.06.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नर्सिंग अधिकारी के पद पर राजकीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावा, झुंझुनू में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को आदेश दिनांक 06.06.2025 के द्वारा कार्यमुक्त किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 15.01.2025 को अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 1907/2025 प्रस्तुत की गई और अधिकरण द्वारा दिनांक 10.03.2025 को आदेश जारी करते हुये यह निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी के संबंध में निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावे और उक्त निर्देशों की पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 28.05.2025 (अनुलग्नक–2) जारी करते हुये श्रीमती संगीता कुमारी का नाम विलोपित करते हुये शेष आदेश दिनांक 15.01.2025 यथावत रहने का आदेश जारी किया गया और आदेश दिनांक 06.06.2025 के द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.01.2025 की पालना में पीबीएम चिकित्सालय, बीकानेर के लिये कार्यमुक्त कर दिया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उपरोक्त कार्यवाही नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा की गई है, जिसमें किसी प्रकार की

नियम विरूद्धता प्रकट नहीं होती है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है। अपीलार्थी अपनी पारिवारिक समस्याओं के लिये विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष